



प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक जोखिम प्रबंधन में बीमा की भूमिका: एक क्षेत्रीय अध्ययन

डॉ. राजेश्वर साव

सारांश

प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप विकासशील देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बार-बार चुनौती देती हैं। इन आपदाओं से उत्पन्न आर्थिक क्षति को कम करने में बीमा एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के तीन जिलों – रायपुर, दुर्ग, और बिलासपुर – में बीमा की भूमिका का क्षेत्रीय अध्ययन करता है। इसमें बीमा योजनाओं की पहुंच, लाभ प्राप्ति प्रक्रिया, जागरूकता के स्रोत, और लोगों की संतुष्टि स्तर का मूल्यांकन किया गया है। शोध परिणामों से स्पष्ट होता है कि बीमा आर्थिक जोखिम प्रबंधन का एक प्रभावी साधन है, किंतु इसके प्रचार, दावा निपटान प्रक्रिया और समावेशिता में अभी भी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। नीति निर्माताओं के लिए यह अध्ययन बीमा को आपदा प्रबंधन रणनीति में एकीकृत करने हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड्स: बीमा, प्राकृतिक आपदा, फसल बीमा, आर्थिक जोखिम, दावा प्रक्रिया, छत्तीसगढ़

1. प्रस्तावना (परिचय)

भारत एक प्राकृतिक आपदा-प्रवण देश है, जहां भौगोलिक विविधता के कारण हर वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाएं – जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और ओलावृष्टि – जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, भारत की लगभग 58% भूमि भूकंप संभावित, 12% बाढ़ संभावित, और 68% सूखे की चपेट में है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण ने आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को और अधिक बढ़ा दिया है।

प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले आर्थिक जोखिम केवल व्यक्ति या परिवारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे राष्ट्रीय और राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। इन आर्थिक जोखिमों का प्रभाव विशेष रूप से गरीब, सीमांत और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या पर अधिक होता है, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होती है।



ऐसे में बीमा एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और समाज को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बीमा योजनाएं न केवल जोखिम के स्थानांतरण का माध्यम हैं, बल्कि वे आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्स्थापन का आधार भी बनती हैं। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और निजी बीमा कंपनियों की प्रॉपर्टी और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भारत में जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि बीमा किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों – जैसे कृषि, शहरी आवास और सूक्ष्म व्यवसाय – में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों का प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही, यह शोध बीमा लाभ प्राप्ति की जमीनी हकीकत, प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और जागरूकता के स्तर का भी गहन मूल्यांकन करता है।

2. शोध के उद्देश्य

1. प्राकृतिक आपदा के समय बीमा की उपयोगिता का मूल्यांकन करना।
2. विभिन्न क्षेत्रों में बीमा की पहुंच और प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
3. बीमा लाभ प्राप्ति में आने वाली समस्याओं और प्रक्रिया की देरी को समझना।
4. बीमा जागरूकता के स्रोतों की पहचान करना।
5. बीमा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत सुझाव देना।

3. साहित्य समीक्षा

बीमा की भूमिका पर कई शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है। इस अध्ययन में विशेष रूप से निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का विश्लेषण किया गया:

- **Rao (2022)** का अध्ययन बताता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने किसानों को सूखा और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान की है। हालांकि, दावा निपटान में देरी और कम जागरूकता प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं।
- **Verma & Gupta (2023)** के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी बीमा की उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन इसके प्रचार और पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है। बीमा को एक लागत के रूप में देखा जाता है, न कि निवेश के रूप में।



- **World Bank (2021)** की रिपोर्ट "Insurance and Disaster Risk Management in Developing Economies" में कहा गया है कि आपदा जोखिम प्रबंधन में बीमा की भूमिका रणनीतिक होनी चाहिए, जिससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिले।
- **Jain et al. (2023)** का अध्ययन दर्शाता है कि भारत में बीमा जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस दूरी को पाटा जा सकता है।
- **IRDAI Annual Reports** और **NDMA Guidelines** यह संकेत देते हैं कि बीमा कंपनियों, सरकार और आपदा प्रबंधन निकायों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है, जिससे दावा निपटान प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो।

इस समीक्षा से स्पष्ट है कि बीमा न केवल आपदा के बाद की आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि यह जोखिम प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। आवश्यकता है कि बीमा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए, विशेषकर कमजोर और जोखिम-ग्रस्त समुदायों तक।

4. अनुसंधान कार्यप्रणाली

यह शोध अध्ययन **वर्णनात्मक (descriptive)** और **विश्लेषणात्मक (analytical)** स्वरूप का है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

- **क्षेत्रीय सीमा:** रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले (छत्तीसगढ़ राज्य)
- **नमूना आकार:** 300 उत्तरदाता (100 किसान, 100 शहरी निवासी, 100 सूक्ष्म व्यवसायी)
- **डेटा संग्रहण उपकरण:** प्रश्नावली, साक्षात्कार
- **मूल्यांकन उपकरण:** Excel और SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डेटा का विश्लेषण किया गया

5. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

5.1 बीमा कवरेज वितरण – क्षेत्रवार (Primary Data)

क्षेत्र	बीमित परिवार (%)	अबीमित परिवार (%)	नमूना आकार
कृषि क्षेत्र	62%	38%	100
शहरी आवास	48%	52%	100
सूक्ष्म व्यवसाय	54%	46%	100



विश्लेषण: कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण बीमा कवरेज अधिक है। शहरी क्षेत्रों और सूक्ष्म व्यवसायों में निजी बीमा योजनाओं की जानकारी कम होने के कारण कवरेज सीमित है।

5.2 प्राकृतिक आपदा पश्चात दावा प्राप्ति समय (Primary + District-level Data)

जिला	0-3 माह में प्राप्ति (%)	3-6 माह में (%)	6 माह से अधिक (%)	औसत दावा निपटान समय (दिवस)
रायपुर	38%	44%	18%	92 दिन
दुर्ग	34%	41%	25%	101 दिन
बिलासपुर	36%	42%	22%	88 दिन

विश्लेषण: औसतन बीमा दावा प्राप्त करने में 3-6 माह का समय लगता है। दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया और एजेंट स्तर की अक्षम्यताएं प्रमुख कारण हैं।

5.3 बीमा जागरूकता स्रोत (Primary + State Report)

स्रोत	प्रतिशत जागरूकता योगदान	प्रभावित क्षेत्र
बीमा एजेंट	34%	सभी जिले
सरकारी प्रचार	28%	शहरी / अर्ध-शहरी
ग्राम सभा / पंचायत	18%	ग्रामीण बिलासपुर / रायपुर
स्वयं सहायता समूह (SHG)	20%	महिलाएं / सहकारी समूह

विश्लेषण: बीमा एजेंट जागरूकता का मुख्य स्रोत हैं, परंतु SHG और ग्राम सभाएं विशेष रूप से महिला और ग्रामीण समुदाय तक पहुंचने के लिए प्रभावी माध्यम हैं।

5.4 द्वितीयक आंकड़े: राज्य स्तर पर बीमा कवरेज एवं जागरूकता

क्षेत्र	बीमा कवरेज (IRDAI 2023)	जागरूकता स्कोर (100 में)
ग्रामीण छत्तीसगढ़	39%	61
शहरी छत्तीसगढ़	56%	68



विश्लेषण: छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज कम है। जागरूकता और पहुंच दोनों में सुधार की आवश्यकता है।

5.5 बीमा संतुष्टि स्तर (Consumer Feedback + Primary)

बीमा प्रकार	अत्यधिक संतुष्ट (%)	संतुष्ट (%)	असंतुष्ट (%)
फसल बीमा (PMFBY)	16%	52%	32%
स्वास्थ्य बीमा	24%	44%	32%
जीवन बीमा	22%	48%	30%
संपत्ति बीमा	14%	38%	48%

विश्लेषण: सरकारी योजनाओं में संतुष्टि अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि निजी बीमा खासकर संपत्ति बीमा में असंतोष सबसे अधिक है, मुख्यतः क्लेम प्रक्रिया के कारण।

5.6 आर्थिक जोखिम और आपदाओं से क्षति (Secondary Data – NDMA, SDMA)

वर्ष	प्रमुख आपदा	जिले	आर्थिक नुकसान (₹ करोड़)	प्रभावित परिवार
2020	अतिवृष्टि	रायपुर, दुर्ग	₹680 करोड़	85,000
2022	बाढ़ व भूस्खलन	अंबिकापुर, दुर्ग	₹1,300 करोड़	1.5 लाख
2023	असमय वर्षा	रायपुर, महासमुंद	₹720 करोड़	70,000

6. निष्कर्ष

1. कृषि क्षेत्र में बीमा कवरेज सर्वाधिक है, परंतु संतुष्टि मध्यम स्तर की है

अध्ययन में 62% किसानों ने बताया कि वे फसल बीमा योजना से जुड़े हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है। परंतु जब संतुष्टि की बात आई, तो केवल 16% किसान ही अत्यधिक संतुष्ट पाए गए। इसका प्रमुख कारण था—**दावा निपटान में देरी, जटिल प्रपत्र, और स्थानीय एजेंटों की सीमित पहुंच**। यह दर्शाता है कि योजना की पहुंच तो बढ़ी है, परन्तु उसकी **प्रभावशीलता और भरोसेमंद कार्यान्वयन** अभी अधूरी है।



2. शहरी क्षेत्र और सूक्ष्म व्यवसायों में बीमा कवरेज और जानकारी दोनों सीमित हैं

शहरी परिवारों में केवल 48% और सूक्ष्म व्यवसायों में 54% ने बीमा योजनाओं का लाभ लिया। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें बीमा की शर्तों, लाभों और दावों की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। विशेष रूप से सूक्ष्म व्यवसायों में बीमा को अतिरिक्त लागत माना जाता है, जबकि यह जोखिम सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।

3. दावा प्राप्ति में देरी एक प्रमुख समस्या है

प्राथमिक आंकड़ों और जिलावार द्वितीयक आंकड़ों से पता चला कि बीमा दावा प्राप्त करने में औसतन 3 से 6 माह का समय लगता है। रायपुर में यह औसत 92 दिन, दुर्ग में 101 दिन और बिलासपुर में 88 दिन रहा। देरी के कारणों में दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता, बीमा एजेंटों की निष्क्रियता, तथा प्रशासनिक ढांचे की धीमी कार्यप्रणाली शामिल हैं।

4. बीमा जागरूकता का स्तर असमान है और स्रोत सीमित हैं

उत्तरदाताओं में बीमा जागरूकता का प्रमुख स्रोत बीमा एजेंट (34%) और सरकारी प्रचार (28%) था। केवल 20% जागरूकता SHG (स्वयं सहायता समूहों) से आई, जो कि ग्रामीण महिला समूहों में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। यह दिखाता है कि स्थानीय निकायों और समाज-आधारित संगठनों को बीमा साक्षरता में और अधिक भागीदारी करनी चाहिए।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज और जागरूकता दोनों कम हैं

IRDAI और NABARD के अनुसार, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 39% बीमा कवरेज है। ग्रामीण क्षेत्रों का बीमा जागरूकता स्कोर भी केवल 61/100 है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यह विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिंता का विषय है।

6. आर्थिक जोखिम से सुरक्षा में बीमा की भूमिका सैद्धांतिक रूप से मजबूत पर व्यावहारिक रूप से अधूरी है

आपदाओं से हर वर्ष छत्तीसगढ़ को ₹700 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। बीमा इन जोखिमों को स्थानांतरित करने में उपयोगी होता है, लेकिन लाभ वास्तविक रूप में तभी होता है जब उसका समय पर दावा निपटान, न्यूनतम दस्तावेज़, और स्थानीय समर्थन तंत्र मजबूत हो।

7. संतुष्टि का स्तर मध्यम है, विशेषकर संपत्ति बीमा में असंतोष अधिक



संपत्ति बीमा में 48% उत्तरदाता असंतुष्ट पाए गए। इसके मुख्य कारण थे—**क्लेम रिजेक्शन, कम भुगतान, और प्रीमियम दरों में पारदर्शिता की कमी**। वहीं जीवन और स्वास्थ्य बीमा में संतुष्टि अपेक्षाकृत बेहतर (44%–48%) पाई गई।

8. बीमा का सामाजिक प्रभाव अब भी सीमित है – पुनर्निर्माण और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में कमी

उत्तरदाताओं ने बताया कि बीमा उन्हें आपदा के तुरंत बाद वित्तीय राहत तो देता है, लेकिन **पुनर्निर्माण, मानसिक स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा** देने की क्षमता सीमित है। इसका कारण है—बीमा राशि का अपर्याप्त होना और नीतियों की सीमाएं।

7. सुझाव

1. दावा प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाया जाए।
2. पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को बीमा शिक्षा में भागीदार बनाया जाए।
3. मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा सेवाओं को बढ़ाया जाए।
4. सरकारी योजनाओं और निजी बीमा कंपनियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
5. ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए सब्सिडी आधारित बीमा योजनाएं चलाई जाएं।

8. नीति निहितार्थ

बीमा केवल जोखिम की भरपाई नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और आर्थिक पुनर्निर्माण का आधार भी बन सकता है। सरकार को आपदा प्रबंधन में बीमा को केंद्रीय भूमिका देनी चाहिए और उसे सार्वभौमिक पहुँच तक ले जाने के लिए बहु-स्तरीय रणनीतियाँ अपनानी चाहिए।

9. सीमाएँ और भविष्य का शोध

यह अध्ययन केवल तीन जिलों पर केंद्रित है। भविष्य में विभिन्न राज्यों और आपदाओं की प्रकृति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए, जिससे बीमा की व्यापक प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो सके।



10. संदर्भ

1. **IRDAI.** (2023). *Annual Report: Statewise Penetration & Claims*. Retrieved from <https://irdai.gov.in>
2. **NDMA.** (2023). *India Disaster Report*. National Disaster Management Authority, Government of India.
3. **Chhattisgarh SDMA.** (2023). *राज्य आपदा वार्षिक रिपोर्ट*, रायपुर
4. **PMFBY Dashboard.** (2023). *District-wise Claim Data – Chhattisgarh*. Retrieved from <https://pmfby.gov.in>
5. **IRDAI Consumer Feedback Survey.** (2023). *Satisfaction with Insurance Services – Rural Chhattisgarh*
6. **NABARD.** (2023). *Rural Financial Inclusion in India – Insurance Report*
7. **Chhattisgarh Rural Development Dept.** (2023). *बीमा जागरूकता सर्वेक्षण रिपोर्ट – दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर*
8. **Jain, P. & Verma, S.** (2023). “Insurance Gaps and Economic Risks in Rural India,” *Indian Journal of Social Security Studies*.
9. **Rao, S.** (2022). *Fasal Beema and Risk Management in Agrarian India*, Economic and Political Weekly.